(136)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, संभाग रीवा (म.प्र.)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित Rs 30/-

बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी तनय श्री सूर्यभान द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट तह0 चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0) ——————— निगरानीकर्ता

RS486-II/16

बनाम

1. रामप्रताप तनय श्री शिवपतीराम ब्रा0 (फौत) वारिस
2. शिवशंकर प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 श्री रामप्रताप द्विवेदी निवासी ग्राम बरहट तह0 चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0)

——————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री विवेक शर्मा, द्वारा प्रस्तुत/02/11/16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24.09.16 जो राजस्व प्रकरण क्र.29/ए 70/15–16 को माननीय तहसीलदार तहसील चितरंगी द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील चितरंगी के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि भूमि खसरा नं0 328 करवा 0.30 हे. का वह भूमिस्वामी है जिसमें अंश भाग पर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 31.05.16 से जबरन शैचालय का गड्ढा खुदाई कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका जबाव पेश करते हुए निगरानीकर्ता ने निवेदन किया कि उक्त गड्ढे का निर्माण कार्य वह अपनी पुस्तैनी भूमियों पर कर रहा है जो उचित है। जिसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया, हल्का पटवारी द्वारा मनगढंत व बनाबटी बिना मौके की जांच किये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके

(136)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5486-दो/16 जिला– सिंगरौली

वृजेन्द्र कुमार द्विवेदी विरूद्ध राम प्रताप शा.(फौत) व अन्य

101/-

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~/ ~~राजस्व निरीक्षक~~, तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 29/अ70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24-9-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	